

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं०-9/निधि-स्कीम (0508-ए.वि.बैंक सम्पोषित)-02-11/2026 -

13(S) weA

पटना, दिनांक-

05/05/26

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग (मु०), बिहार, पटना।

विषय : मॉग सं०- 41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष- 03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष- 337-सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष- 0508 - सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित), विपत्र कोड- 41-5054033370508, विषय शीर्ष- 0508.53.01- मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश : चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-6 में प्राप्त मॉग पत्र के आलोक में संबंधित कार्यालय को स्तम्भ-4 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹4,00,00,00,000/- (चार अरब रुपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित कार्यालय को आवंटन विवरणी के अनुसार वर्ष 2026-27 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ-5 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
3. यह व्यय मॉग सं०- 41 के मुख्य शीर्ष- 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष- 03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष- 337-सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष- 0508 - सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित), विपत्र कोड- 41-5054033370508, विषय शीर्ष- 0508.53.01- मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 236/वि. दिनांक- 09.03.2026 एवं पत्रांक-314 /वि. दिनांक-01.04.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.2018 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
6. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
7. संबंधित निगम/ प्रमंडल / कार्यालय विभागीय पत्र सं०-4099(एस०) दिनांक-11.05.2017, पत्र सं०-901(ई०) दिनांक-08.02.2018 तथा पत्र सं०- 3401(ई०) दिनांक-17.05.2018 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि का व्यय करेंगे।
8. यह व्यय प्रशासनिक/ प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
9. आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में भेजा जाय।
10. इस आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मु०), बिहार, पटना CFMS के माध्यम से बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना को पटना कोषागार, पटना स्थित पी०एल० खाता संख्या- 243 (old), जमा खाता नं०- PTCPLA012, विपत्र कोड- K8448001200019 में पुस्त अंतरण हेतु कोषागार को प्रेषित करेंगे।
11. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों के व्यय को शामिल करते हुए राशि का व्यय किया जाय।



12. उक्त आवंटित राशि का व्यय दिनांक- 15.02.2027 तक सुनिश्चित किया जाय। आवंटित राशि को बैंक खाते में पार्क नहीं किया जाए
13. प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
14. आवंटित राशि की सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)
05/05/26

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं0-9/निधि-स्कीम (0508-ए.वि.बैंक सम्पोषित)-02-11/2026 - 13(S)WEA पटना, दिनांक- 05/05/26

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सचिव कोषांग, प0नि0वि0, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, प0नि0वि0, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प0नि0वि0 / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) पं०नि०वि०, पटना/संयुक्त सचिव (प्र0को0), प0नि0वि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना / कार्यपालक अभियंता (बजट -2), प0नि0वि0/ आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा शाखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी-9, प0 नि0 वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)
05/05/26

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

संचिका सं0-9/निधि-स्कीम (0508-ए.वि.बैंक सम्पोषित)-02-11/2026 - 13(S)WEA पटना, दिनांक- 05/05/26

क्रम0 सं0	कार्यालय का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना के माध्यम से बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए।	0	400,00,00,000	400,00,00,000	1374 / 21.04.2026
	कुल	0	400,00,00,000	400,00,00,000	

वर्तमान आवंटन शब्दों में चार अरब रुपये मात्र।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)
05/05/26

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।